अधिवक्ता श्री के. एल. साहिया तहसील-आमला जिला बैतूल द्वारा प्रस्तुत।
09/10/2017
A.S.

समक्षः—न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.) कैम्प-भोपाल.

PBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा/2017/3927

पुनरीक्षण क्र. वर्ष 2017

(131)

रामकिशोर, उम्र 63 वर्ष, वल्द स्व. नानकराम, जाति किराड़
निवासी— अंधारिया, तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)

....पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ....गैरपुनरीक्षणकर्ता।

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालय में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई जिला बैतूल द्वारा उनके न्यायालय में अपीलार्थी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील जिसका रा.मा.क्र. 79 अ/68 वर्ष 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 18/06/2013 के विरूध्द द्वितीय अपील म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के तहत प्रस्तुत की गई थी जो न्यायालय श्रीमान आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा उनके न्यायालय के अपील प्रकरण क्र. 45/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17/08/2017 के अनुसार अस्वीकार कर दी गई है जिससे परिवेदित होकर समयावधि में यह पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्रीमान न्यायालय के समक्ष याचिका में वर्णित आधारों पर न्यायार्थ प्रस्तुत है :—

S19 SR
16-10-17

28-8-18 आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अना० पूर्व से अनुपस्थित। शेष रिकार्ड अप्राप्त। (SDO Record प्राप्त 30/8/18)

DD

आवेदक व उनके अभि० को समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। फिर भी कोई उप० नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष